संख्या : क0सं0वि0–5–2210/11–98

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।
(2) समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग–5 लखनऊ, दिनांक 30 मई, 1998

विषयः–रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा–17 के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकरण किये जाने वाले विलेखों का रजिस्ट्रीकरण किया जाना तथा ऐसे विलेख जिन पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होता है लेकिन वे बिना प्रभार्य स्टाम्प शुल्क अदा हुये निष्पादित किये जा रहे हैं, तो उन पर अंकुश लगाया जाना।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि विभिन्न निकाय/संस्थान अपने द्वारा निर्मित दुकान/भवन को लोगों को उपलब्ध कराते हैं लेकिन उसके सम्बन्ध में किसी हस्तान्तरण पत्र को निष्पादित नहीं कराते हैं। यह भी तथ्य संज्ञान में आया है कि कतिपय मामलों में लेखपत्र निष्पादित किये जाते हैं लेकिन उनका रजिस्ट्रीकरण निबन्धन विभाग के कार्यालयों में नहीं कराया जाता है, कुछ ठेके (यथा : तहबाजारी के ठेके, नुमायश के ठेके, खनन ठेके, बाजार आदि के नीलामी के मामले) विभिन्न विभागों के द्वारा दिये जाते हैं लेकिन ऐसे ठेके पत्रों पर उचित स्टाम्प शुल्क अदा नहीं किया जाता है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा–17 का उद्धरण संलग्न किया जा रहा है। इस धारा–17 को देखने से यह स्पष्ट है कि इसके प्राविधान बहुत व्यापक हैं इस प्राविधान के अन्तर्गत अचल सम्पत्तियों के सम्बन्ध में अधिकारों को हस्तान्तरित करने के उपरोक्त प्रकार के मामले आच्छादित हैं। यदि उपरोक्त मामलों का रजिस्ट्रीकरण होता रहेगा तो जहाँ राज्य सरकार को स्टाम्प राजस्व प्राप्त होगा वहीं इन विलेखों से लाभान्वित होने वाले पक्षकार को प्राप्त होने वाले अधिकार सुनिश्चित रहेंगे और विलेख के पक्षकारों को अनावश्यक विवादों से सुरक्षा भी प्राप्त हो जायेगी।

कृपया अपने अधीनस्थ विभागों, निकायों, संस्थानों, निगमों आदि से उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें यदि किसी बिन्दु पर भ्रम हो तो उसके निस्तारण के लिये महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश को सन्दर्भ भेजा जा सकता है।

यहाँ यह नितान्त स्पष्ट रूप से इंगित किया जा रहा है कि उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यदि कोई अधिकारी उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में शिथिलता का प्रदर्शन करेगा तो शासकीय राजस्व की हानि के लिये उसे व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी मानकर उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

ह0अस्पष्ट
(योगेन्द्र नारायण)
मुख्य सचिव।

संख्या : क0सं0वि0–5–2210(1)/11–98 तद्दिनांक

प्रतिलिपि महानिरीक्षक निबन्धन, उ0प्र0, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

ह0अस्पष्ट
(दीपक त्रिवेदी),
विशेष सचिव।